

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर 0ए0एस)

मु0 संख्या :- 14/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर		1. श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित पुत्र रेवन्तसिंह राजपुरोहित उम्र 35 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी थाना का वास, खीचन तहसील फलोदी जोधपुर मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर(राज.) 2. मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
2006 नियम 2011)


उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित पुत्र रेवन्तसिंह राजपुरोहित।
3. मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण।


-:: निर्णय ::-

दिनांक: 03.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.02.2018 को 01:00 पीएम पर मेसर्स श्रीराम स्वीट होम, जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित पुत्र रेवन्तसिंह राजपुरोहित कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में खोया फीका मावा खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात खोया फीका मावा लगभग 01 किलो नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 240 रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा खोया फीका मावा के चार नमूने लिये प्रत्येक को चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर बराबर मात्रा में


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट


डालकर प्रत्येक नमूने में फॉर्म्युलिन की 20-20 बुंदे परीक्षण बतौर डालकर डिब्बा बंद किया। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं क्रमांक नम्बर एन-830 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-830 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-830 खोया फीका मावा लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनों भागो को अपने जाबते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर श्री सुमनेश माथुर को दिनांक 27.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 26.02.18 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/11285-87 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./234/Act/2018/251 दिनांक 28.03.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-830/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर


प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित पुत्र रेवन्तसिंह राजपुरोहित उम्र 35 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी थाना का वास, खीचन तहसील फलोदी जोधपुर मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) 2. मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) ने सबस्टेण्डर्ड खोया फीका मावा का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी की ओर से श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित दिनांक 03.05.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में मुल्जिम पर लगाये गये आरोप मुल्जिम स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। यह कि सूखा खोया मावा के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि अमानक पाया गया है। फर्म में इधर-उधर से दूध विक्रय कर खोया फीका मावा बनाया जाता है। मुल्जिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में हमारे द्वारा ना तो इधर-उधर से दूध विक्रय कर फर्म मावा नहीं बनाया जायेगा एवं ना ही खरीदा जायेगा व पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./234/Act/2018/251 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार खोया फीका मावा का उक्त नमूना अवमानक पाया गया है। वही अप्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (2) के तहत स्वीकार



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

किया जाता है तथा अप्रार्थी श्री स्वरूपसिंह राजपुरोहित जो मेसर्स श्रीराम स्वीट होम जैसलमेर रोड. पोकरण जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु खोया फिका मावा विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला जज, जैसलमेर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला जज, जैसलमेर
जैसलमेर